

सूचना का अधिकार

अधिनियम—2005

जनपद— चन्दौली ।

अनुक्रमणिका

1. पुलिस बल के संगठन कार्य तथा कर्तव्यों का विवरण
 - 1.1 जनपद में पुलिस का संगठन
 - 1.2 जनपद में स्थित विभिन्न इकाईयों के कार्यों के पर्यवेक्षण अधिकारी
2. अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य
 - 2.1 पुलिस अधिनियम
 - 2.2 पुलिस रेगुलेशन
 - 2.3 दण्ड प्रक्रिया संहिता
 - 2.4 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धी निर्देश
 - 2.5 अपर पुलिस अधीक्षक के कर्तव्य एवं दायित्व
 - 2.5.1 कर्तव्य
 - 2.5.1.1 संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही सम्बन्धी
 - 2.5.1.2 सक्रिय एवं वांछित अपराधी सम्बन्धी
 - 2.5.1.3 अपराधिक अभिसूचना का एकत्रीकरण
 - 2.5.1.4 विशेष अपराधों के सम्बन्धमें
 - 2.5.1.5 अभियोजना
 - 2.5.2 अपर पुलिस अधीक्षकों के अधिकार
 - 2.5.2.1 रथानान्तरण सम्बन्धी
 - 2.5.2.2 वार्षिक मन्तव्य
 - 2.5.2.3 दण्ड सम्बन्धी
 - 2.6 संसद और विधान मंडल द्वारा समय समय पर पारित अन्य विविध अधिनियमों और शासनादेशों द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ
3. निर्णय लेने की प्रक्रिया की कार्यविधि के पर्यवेक्षण व उत्तरदायित्व के स्तर
 - 3.1 अनुसंधान/विवेचना
 - 3.2 नियन्त्रण कक्ष
 - 3.3 शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया
 - 3.3.1 थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया
 - 3.3.2 पुलिस अधीक्षक को शासन, आयोगों व अन्य उच्च अधिकारीगणों के स्तर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया
 - 3.3.3 पुलिस अधीक्षक को शासन, आयोगों व अन्य उच्च अधिकारीगणों के स्तर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया
 - 3.3.4 थाना दिवस में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया
 - 3.3.5 फायर सर्विस इकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों की प्रक्रिया

- 3.3.6 जनपद चन्दौली में यातायात नियमन
- 3.3.6.1 चन्दौली क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश व संचालन के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक का आदेश
- 3.3.6.2 मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध व जुर्माना
- 3.3.7 स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया
- 3.3.7.1 एफ०आर०ओ० (विदेशी पंजीकरण अधिकारी) के सम्बन्ध में
- 3.3.7.2 पासपोर्ट
- 3.3.8 सुख्खा व्यवस्था प्रदान करने से सम्बन्धित प्रक्रिया
- 3.3.9 शस्त्र लाइसेन्स संस्तुति किये जाने की प्रक्रिया
- 3.3.10 विभिन्नप्रकार के चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की प्रक्रिया
- 3.3.10.1 प्राइवेट वेरीफिकेशन
- 3.3.10.2 पुलिस वेरीफिकेशन
- 3.3.10.3 सर्विस वेरीफिकेशन
- 3.3.10.4 मिलीट्री सर्विस वेरीफिकेशन
- 3.3.10.5 ठेकेदारी वेरीफिकेशन
4. कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाये जाने वाला मानदण्ड
- 4.1 जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार की जाँचों के लिये निर्धारित किये गये मापदण्ड
- 4.2 पुलिस आचरण के सिद्धान्त
5. कर्तव्यों निर्माण हेतु अपनाये जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका व अभिलेख
6. विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों की श्रेणी
- 6.1 विभिन्न थानों व अन्य कार्यालयों में रखे जाने वाले अभिलेख
- 6.2 क्षेत्राधिकारी स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख
- 6.3 अपर पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख
- 6.4 पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख
7. जनता की परामर्श दात्री समितियां
8. बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय
9. अधिकारियों तथा कर्मचारियों की टेलीफोन डायरेक्ट्री
10. अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक
- 10.1 सशक्त व नागरिक पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक
- 10.2 रेडियो शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक
- 10.3 फायर सर्विस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक
- 10.4 लिपिक वर्गीय अधिकारी/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

- 10.5 परिवहन शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितापिक
- 10.6 स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितापिक
11. बजट
12. सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन का ढंग
13. संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण
14. इलेक्ट्रानिक प्रारूप में सूचनाओं की उपलब्धता
15. अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों को प्रदत्त सुविधायें।
16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम
17. अन्य कोई विहित सूचना

जनपद— चन्दौली

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1) बी० के अनुसार जनपद चन्दौली के पुलिस विभाग के सम्बन्ध में अद्यतन निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है।

1. पुलिस बल के संगठन कार्य तथा कर्तव्यों का विवरण—

पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 3 के अनुसार जिले में पुलिस का अधीक्षक उस राज्य सरकार में निहित होगा जिसके अधीन ऐसा जिला होगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जैसा प्राधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को अधिक्रमित या नियन्त्रित करने के लिए सशक्त नहीं किया जोयगा।

पुलिस का मूल कर्तव्य कानून व्यवस्था व लोक व्यवस्था को स्थापित कराना तथा अपराध नियन्त्रण व निवारण तथा जनता से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण कराना है। समाज के समस्त वर्गों में सद्भाव कायम रखने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों एवं संस्थानों की सुरक्षा करना तथा समस्त व्यक्तियों के जान व माल की सुरक्षा करना है। लोक जमावों व जुलूसों को विनियमित कराना तथा अनुमति देना व सार्वजनिक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाये रखना है।

जनपद पुलिस पुलिस अधीक्षक के नियन्त्रण एवं निर्देशन में कार्य करती है। जनपद में कुल 02 अपर पुलिस अधीक्षक, 05 पुलिस उपाधीक्षक, 15 प्रभारी निरीक्षक व 01 थानाध्यक्ष के पद सृजित हैं। अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी कार्यालय एवं क्षेत्राधिकारी सकलडीहा कार्य करते हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नौगढ़ व क्षेत्राधिकारी चकिया कार्य करते हैं।

1.1 जनपद में पुलिस का संगठन—

जनपद में पुलिस का संगठन निम्नलिखित प्रकार से है—

अपर पुलिस अधीक्षक	क्षेत्राधिकार	थानाक्षेत्र
अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली	क्षेत्राधिकारी सदर	कोतवाली चन्दौली
		कोतवाली मुगलसराय
		थाना सैयदराजा
		थाना अलीनगर
		थाना— महिला थाना
		पुलिस कार्यालय, चन्दौली
अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली	क्षेत्राधिकारी सकलडीहा / कार्यालय	कोतवाली सकलडीहा
		थाना धीना
		थाना बलुआ
		थाना धानापुर
		थाना कन्दवा

अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन	क्षेत्राधिकारी चकिया	कोतवाली चकिया
		थाना शहाबगंज
		थाना बबुरी
		थाना इलिया
	क्षेत्राधिकारी लाइन्स	पुलिस लाइन्स, यातायात चन्दौली
	क्षेत्राधिकारी नौगढ़	थाना नौगढ़
		थाना चकरघटटा

1.2 जनपद में स्थित विभिन्न इकाईयों के कार्यों के पर्यवेक्षण अधिकारी—

क्र०सं०	इकाई का नाम	पर्यवेक्षक अधिकारी	पर्यवेक्षक पुलिस अधीक्षक
1	वायरलेस शाखा	सहायक रेडियो अधिकारी	अपर पुलिस अधीक्षक, चन्दौली
2	स्थानीय अभिसूचना इकाई	क्षेत्राधिकारी चन्दौली	अपर पुलिस अधीक्षक, चन्दौली
3	फायर सर्विस	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	अपर पुलिस अधीक्षक, चन्दौली
4	चन्दौली नियन्त्रण कक्ष	क्षेत्राधिकारी सकलडीहा	अपर पुलिस अधीक्षक, चन्दौली
5	यातायात पुलिस	क्षेत्राधिकारी सकलडीहा	अपर पुलिस अधीक्षक, चन्दौली
6	वी०आई०पी०	क्षेत्राधिकारी सकलडीहा	अपर पुलिस अधीक्षक, चन्दौली
7	नक्सल सेल	क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन	अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन
8	पुलिस लाइन चन्दौली	क्षेत्राधिकारी लाइन	अपर पुलिस अधीक्षक, चन्दौली
9	भवन	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक, चन्दौली
10	फील्ड यूनिट	क्षेत्राधिकारी सकलडीहा	अपर पुलिस अधीक्षक, चन्दौली
11	पत्र व्यवहार शाखा	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक, चन्दौली
12	आंकिक शाखा	क्षेत्राधिकारी सकलडीहा	अपर पुलिस अधीक्षक, चन्दौली
13	विशेष जाँच प्रकोष्ठ	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक, चन्दौली
14	महिला सहायता प्रकोष्ठ	क्षेत्राधिकारी सकलडीहा	अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन
15	डी०सी०आर०बी०	क्षेत्राधिकारी सकलडीहा	अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन
16	न्यायालय प्रकरण	क्षेत्राधिकारी सकलडीहा	अपर पुलिस अधीक्षक, चन्दौली
17	सम्मन सेल	क्षेत्राधिकारी सकलडीहा	अपर पुलिस अधीक्षक, चन्दौली
18	आई०जी०आर०एस०	—	अपर पुलिस अधीक्षक, चन्दौली
19	सी०सी०टी०एन०एस०	—	अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन
20	यू०पी०— 100	क्षेत्राधिकारी सकलडीहा	अपर पुलिस अधीक्षक, चन्दौली

पुलिस अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यरत रहेगा और उसे जिले के किसी भी भाग में नियोजित कियाजा सकता है। पुलिस अधिनियम 1961 की धारा 23 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह पुलिस विभाग के संचलन हेतु विहित विभिन्न नियमों व कानूनों तथा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधिपूर्वक जारी किये गये सब आदेशों एवं वारन्टों का पालन एवं निष्पादन करें शान्ति को प्रभावित करने वाले गुप्त वार्ता का संग्रह करें, अपराधों व लोकन्यूसेन्स को निर्धारित करें, अपराधियों का पता लगाये और न्यायालय के समक्ष लाये।

- ## 2. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्यः-

पुलिस अधिनियम, पुलिस रेगुलेशन, द0प्र0सं0, अन्य अधिनियमों तथा विभिन्न शासनादेशों के अंतर्गत पुलिस अधीकारियों/कर्मचारियों के निम्न लिखित अधिकार एवं कर्तव्य हैं:-

2.1 पुलिस अधिनियम-

धारा	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां व कर्तव्य
7	आन्तरिक अनुशासन बनाये रखने हेतु राजपत्रित अधिकारियों को किसी समय अधीनस्त पदों के ऐसे किसी अधिकारी को डिग्ड उपर्युक्त करने की शक्ति होती है जो कि अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल एवं उपेक्षावान पाये जाये
17	विशेष पुलिस अधिकारी की न्युक्ति के सम्बन्ध में जब यह प्रतित हो कि कोई विधिविरुद्ध जमाव , बलवा या शान्ति भंग हुइ हो या होने कीगम्भीर सम्भावना हो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्ति करने की शक्ति होती है।
22	पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यालद्ध माने जाते हैं तथा उन्हें जिले के किसी भाग में नियोजित किया जा सकता है।
23	प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदेशों का पालन व निरसन करें लोक शान्तिकों प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रह करें अपराधियों का पता लगाये तथा उन सब , अपराधों व लोक न्यूसेन्स का निवारण करें , व्यक्तियों को गिरफ्तार करें जिनको गिरफ्तार करने के लिये वैद्यता प्रधिकृत है तथा जिनको गिरफ्तार करने के लिये पर्याप्त आधार विद्यमान है। इसेक लिये उसे बिना वारन्त किसी शाराब की दुकानजुआ , घर या भ्रष्ट या उदाहरण व्यक्तियों के समागम के अन्य स्थान में प्रवेश करना और उसका निरीक्षकण करना विधिपूर्ण होगा।
25	लावारिश सम्पत्ति को पुलिस अधिकारी अपने भार साधन में ले तथा इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दे तथा नियमानुसार उस सम्पत्ति को निस्तारित करेंगे।
30	लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करने और उसके लिये अनुमति देने की शक्ति
क 30	उपरोक्त अनुमति की शर्तों के उलंगन करने पर थाने के भार साधक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को जलूस या किसी जमाव को रोकने या विखर जाने के आदेश देने की शक्ति।
31	सार्वजनिक सड़कों व मार्गोंघाटों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर व्यवस्था बनाये रखने ,आम रास्तों , का कर्तव्य।
34	किसी व्यक्ति द्वारा किसी ढोर का बध करने उसे निर्द ,यता से मारने या यातना देने ढोर गाड़ी से या त्रियों को बाधा पहुचानेमतवाले या उपद्रवी व्यक्तियों व शरीर का ,मार्ग पर गंदगी व कूड़ा फेकने , अशिष्ट प्रदर्शन करने पर किसी पुलिस अधिकारी के लिये यह विधि पूर्ण होगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को बिना वारन्त के अभिरक्षा में ले
क 34	उपरोक्त अपराध के शमन करने की शक्ति राजपत्रित पुलिस अधिकारियों में निहित है।
47	ग्राम चौकिदारों पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का दायित्व

प्रसतर	कर्तव्य
16 से 12 पुलिस अधीक्षक	<p>पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल के प्रधान होते हैं वे अधीन पुलिस बल के दक्षता अनुशासन एवं कर्तव्यों के पालन के लिये दायित्वाधीन होते हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के मध्य सभी संव्यक्त पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ही किये जाते हैं।</p> <p>पुलिस अधीक्षक यदि मुख्यालय पर उपस्थित हैं तो जनता की समस्या सुनने के लिये कार्यालय में बैठेंगे उन्हे स्वतंत्रता पुरुक बैचा संसूचना के लिये प्रोत्साहित कराना चाहिए सूचना के जितने साधन तदनुरूप की दक्षता होगी। पुलिस पैंशनर से उनका सम्पर्क होना चाहिए और उन्हे विनिमित्त रीति से जिले में थानों व पुलिस लाइन का निरीक्षण कराना चाहिए आबकारी विषयों पर आयोजित होने वाले समारोह में पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत मौजूदगी एवं पर्यवेक्षक आवश्यक हैं।</p> <p>पड़ोसी जनपदों के पुलिस अधीक्षक को से यथा सम्भव वर्ष में एक भेट आवश्यक है पुलिस अधीक्षक द्वारा शासकीय आदेश की पुस्तिका जिले का प्रभार सौंपे जाने वाले राजपत्रित अधिकारी द्वारा गोपनिय ज्ञापन तैयार किये जाने सम्बंधित अन्तर्विष्ट अनुदेशों का अनुसरण जाना चाहिये।</p>
सहायक 17 पुलिस अधीक्षक एवं उपाधीक्षक	सहायक पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर किसी भी उस कार्य को किया जाता है जो व्यक्तिगत रूप से विधि व नियमों द्वारा पुलिस अधीक्षक के लिये बाध्यकारी न हो।
23 से 18 प्रतिसार निरीक्षक	प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन के भार साधक अधिकारी हैं जो की जवानों की साज-सज्जा अनुशासन प्रशिक्षण के उत्तर दाई होंगे। आयुथ व बारूद की सुरक्षित अभिरक्षा के लिये उत्तर दाई होंगे।
रिजर्व सब 24 इन्सपेक्टर	रिजर्व सब इन्सपेक्टर प्रतिसार निरीक्षक की सहायता हेतु नियुक्त जो गार्ड एवं स्कोर्ट को निर्देशित करने यातायात नियंत्रण एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रतिसार निरीक्षक द्वारा आदेशित आवश्यक कार्य को करते हैं।
42 से 40 सर्किल स्न्सपेक्टर	सर्किल स्न्सपेक्टर के सम्बन्ध में उल्लेख है जिसमें उनके कर्तव्य जाँच पड़ताल की देखभाल व अपराध का निवारण पुलिस क्षेत्र में निवारित और अनुवेषण कार्यों में सामन्जस्य रखने का निरीक्षण करना सभी महत्वपूर्ण विषयों घटना स्थलों का निरीक्षण अनुवेषण में मार्गदर्शन करना एवं अनुवेषण करना क्षेत्र की रिपोर्ट तैयार करना पुलिस अधीक्षक को प्रत्येक आवश्यक घटना की सूचना देना लाइसेन्सी दुकानों का निरीक्षण अधिनस्थ पुलिस आचरण की निगरानी करना अपराधों का दमन और सामन्जस्य रखने के उत्तर दायित्व से निरन्तर आबद्ध रहना वर्तमान में) सर्किल इन्सपेक्टर का पद विभाग में नहीं है इन कार्यों का निर्वाहन क्षेत्राधिकारी द्वारा यथा (निर्देशित रूप में किया जाता है।

50 से 43 थानाध्यक्ष	थानाध्यक्ष अपने प्रभार की सीमा के अन्तर्गत पुलिस प्रशासन का परिचालन करता है तथा बल की सभी शाखाओं का अधिकार रखता है वह सभी रजिस्ट्रों अभिलेखों विवरणों और रिपोर्टों की
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>शुद्धता के लिये अधिनस्तों के प्रति दाइत्वाधीन होगा। उसे क्षेत्र की सभी साम्रान्त व्यक्तियों से परिचित एवं उनके प्रति मैत्रिपूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए। उसे थाने की परिधि के अन्दर बुरे व्यक्तियों की निगरानी समुचित तरिके से करते रहना चाहिए थाने पर किसी भी अधिकारी के न उपस्थित होने पर सीनियर कान्सटेबिल थाने का भार साथक अधिकारी होगा किन्तु वह तफतीस नहीं करेगा।</p> <p>थानाध्यक्ष द्वारा थाने का चार्ज लेने पर पुलिस फार्म नंको भर कर सूचना भेजेंगे। 299 0</p>
तक 52 से 51 अधीनस्थ उप निरीक्षक	थाने के द्वितीय अफसर का कर्तव्य प्रातः कालीन परेड कराना भार साथक अधिकारी द्वारा सौंपे गये समस्त निर्देशों को अधीनस्थों को बताना अनुबेण्ठ कराना होता है।
हेड मोहर्रिंग 55	<p>हेड मोहर्रिंग के कर्तव्य</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रोजनामचा आम और अपराधों की प्रथम सूचना लिखना 2. हिन्दी रोकण बही 0पुलिस फार्म नं)- 224) 3. यदि पुलिस अधीक्षक आदेश दे तो धारा के अन्तर्गत पंचायत नामा 0सं0प्र0द 174 लिखना
बीट 64 से 51 आरक्षी	कांड्वारा जनता की समस्याओं पर नम्रता पूर्वक विचार करना 0पु0ना 0 चाहिए। उनका मूल कर्तव्य अपराधों की रोकथाम कराना है। थाने पर संतरी ड्यूटी के समय व अभिरक्षा धीन कैदियोंकोश तथा मालखाना एवं थाने के अन्य सम्पत्तियों की रक्षा करेगा बीट कान्सटेबिल के रूप में संदिग्ध अपराधियों फरार अपराधी तथा खाना बदेश अपराधियों की सूचना प्रभारी अधिकारी को देगा।
69 से 65 सशस्त्र पुलिस	सशस्त्र पुलिस के रूप में खजानो हवालातों के संरक्षक कैदियों और सरकारी सम्पत्ति की रास्ते में देखभाल आयुध भण्डार अपराध दमन तथा खतरनाक आपराधियों की गिरफ्तारी तथा उनका पीछा कराना मूल दायित्व है।
83 से 79 घुड़सवार	घुड़सवार पुलिस द्वारा उत्तरावों एवं अन्य आयोजनों में भीषण नियंत्रण का कार्य किया जाता है।
96 से 89 चौकीदार	ग्राम चौकीदार द्वारा अपने प्रभाराधीन गाँवों की देखरेख कराना अपराध एवं अपराधियों की सूचना देना व विधि के प्राधिकार के अधीन अपराधियों को गिरफ्तार कराने का दायित्व होता है।

-8-

2.3 दण्ड प्रक्रिया संहिता-

दक्षी धारा .सं.प्र.	अधिकारियों कर्मचारियों के कर्तव्य /
36	पुलिस थाने के भार साथक अधिकारी से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस थाने क्षेत्र में नियुक्त है उसमें सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग थाने की सीमाओं के

	अन्दर थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा किया जाता है।
41	बिना वारन्ट की गिरफ्तारी निम्न लिखित दशाओं में करने की शक्तियाँ 1. संज्ञेय अपराध की दशा में 2. कब्जे से गृह भेदन का उपकरण 3. उद्घोषित अपराधी 4. चुराई गई सम्पत्ति की सम्भावना 5. पुलिस अधिकारी के कर्तव्य पालन में बाधा 6. सशस्त्र बलों का भगौड़ 7. भारत के बाहर भारत में दण्डनिय किया गया अपराध 8. छोड़े गये सिद्धदोष बंदी द्वारा नियम उल्लंघन पर 9. वाचित अपराधी
42	नाम व निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी
47	उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है।
48	गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति
49	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को उतने से अधिक अवरुद्ध नहीं किया जायेगा जितना की उसके निकल भागने से रोकने के लिये आवश्यक है।
50	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तार के आधारों और जमानतों के अधिकार की सूचना दिया जाना
51	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की तलाशी
52	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से आक्रामक आयुद्वों को अधिग्रहण करने की शक्ति
53	पुलिस अधिकारी के आवेदन पर रजिस्ट्रिकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का किसी चिकित्सीय परिक्षण किया जाना
54	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के आवेदन पर रजिस्ट्रिकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सीय परिक्षण किया जाना
56	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना अधिकारिता मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना
57	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को घटे से अधिक पुलिस अभिरक्षा 240 में निरुद्ध न रखना
58	बिना वारण्ट गिरफ्तारियों की सूचना कार्यकारी मजिस्ट्रेट को देना
60	अभिरक्षा में भागे अभियुक्तों को सम्पूर्ण भारत में कही भी गिरफ्तार की शक्ति

—9—

100	बन्द स्थानर के भार साधक व्यक्ति उस अधिकारी को जो वारण्ट का निर्सादन कर रहा है तलाशी लेंगे।
102	ऐसी वस्तुओं को अधिग्रहित करने की शक्ति जिसके सम्बन्ध में चोरी की हुई होने का संदेह हो।
129	उव उससे उच्च समक्ष अधिकारियों को पुलिस बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर 0निर्देशन।

	बितर करने की शक्ति
130	ऐसे जमाव को तितर बितर करने कि लिये सशस्त्र बल के राजपत्रित अधिकारी की शक्ति
132	धारा 129.130.के अधीन सदभावना पूर्वक किये गये कार्यों के संदर्भ में अभियोजना से 131 संरक्षण
149	प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किये जाने का निवारण करेंगा
150	संज्ञेय अपराधों की किये जाने की परिकल्पना की सूचना
151	उक्त के संदर्भ में बिना वारण्ट गिरफ्तारी का अधिकार
152	लोक सम्पत्ति की क्षति रोकने का अधिकार
153	खोटे बाठ मापे का निरीक्षण अधिग्रहण /
154	संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के निर्देशनुसार लेख बद्ध की जायेगी। इतिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निःशुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इतिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इतिला डाक द्वारा दी जा सकती है।
155	असंज्ञेय मामलों में थाने के भार साधक अधिकारी को ऐसी इतिला का सार सम्बन्धित पुरित्का में प्रविष्ट करायेगा और इतिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिये निर्दिष्ट करेगा।
156	संज्ञेय मामलों अनुवेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति
160	अनुवेषण के अन्तर्गत साक्षियों की हाजरी की उपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति
161	पुलिस द्वारा साक्षियों का परिक्षण किये जाने की शक्ति
165	अपराध के अनुवेषण के प्रयोजनों के लिये किसी स्थान में ऐसी चिज के लिये तलाशी ली जा सकती हैजो अनुवेषण के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो तलाशी जफ्ती के कारणों को , लेखबद्ध किया जायेगा।
166	अनुवेषण कर्ता अन्य पुलिस अधिकारी से भी तलाशी करा सकता है।
167	जब घण्टे के अन्दर अनुवेषण न पूरा किया जा सके तो अभियुक्त को रिमाण्ड पर लेने की 24 शक्ति
169	साक्ष्य अपर्याप्त होने पर अभियुक्त को छोड़ा जाना
170	जब साक्ष्य पर्याप्त हो तो मामलों को मजिस्ट्रेट के पास निवारण के लिये भेज दिया जाना
172	अनुवेषण में की गयी कार्यवाहियों को केश डायरी में लेखबद्ध किया जाना
173	अनुवेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना
174	आत्म हत्या आदि पर पुलिस द्वारा मृत्यु समिक्षा करना और-रिपोर्ट देवा

-10-

175	धारा के अधिन कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी की अन्वेषण के प्रयोजन से 174 व्यक्तियों को समन करने की शक्ति
176	पुलिस अभिरक्षा में मृत व्यक्ति की मृत्यु समिक्षा मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।

2.4 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानव अधिकार संरक्षण संबंधी निर्देश-

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी.के. बशु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के बाद के निर्णय में गिरफ्तारी या निरुद्धी करण के प्रकरणों में पुलिस जनों के निम्न लिखित दायित्व निर्धारित किये गये हैं।

1. गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी करता पुलिस अधिकारी को अपने पद सहित नाम पट्टिका धरण की जानी चाहिये।
गिरफ्तारी का सम्पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में अंकित किया जायें।
2. गिरफ्तारी कर्द गिरफ्तारी के मौके पर ही तैयार की जायेगी जो क्षेत्र के संभ्रान्त व्यक्ति अथवा गिरफ्तार किया गये व्यक्ति के परिवार के किसा सदस्य द्वारा सत्यापित होगी। गिरफ्तार व्यक्ति के प्रति पर हस्ताक्षर होगे व एक प्रति उसे निशुल्क दी जायेगी।
3. पुलिस अभिरक्षा में उसे अपने रिस्टेदार या मित्र से मिलने दिया जायेगा तथा उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके निकट सम्बन्धित को दी जायेगी।
4. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के रिस्टेदार को निरुद्ध रखने के स्थान के बारे में बताया जायेगा।
5. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से अवगत कराया जायेगा कि उसे अपनी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सुचित करने व अधिकृत है।
6. गिरफ्तारी की सूचना को थाने के गिरफ्तारी रजिस्टर में ही अंकित किया जायेगा।
7. गिरफ्तार किये व्यक्ति के अनुरोध पर उसका चिकित्सीय परिक्षण कराया जायेगा।
8. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा में प्रत्येक 48 घण्टे पर प्रशिक्षित डाक्टर से चिकित्सीय परिक्षण कराया जायेगा।
9. गिरफ्तारी की सभी अभिलेखों की प्रतियाँ क्षेत्रिय दण्डाधिकारी के पास भेजी जायेगी।
10. जाँच काल में गिरफ्तार व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।
11. गिरफ्तारी की सूचना जनपद के नियंत्रण कक्ष में नोटिस बोर्ड पर भी अंकित की जायेगी।

2.5 अपर पुलिस अधीक्षक के कर्तव्य एवं दायित्व-

पुलिस महानिदेशक के परिपत्र संख्या: 35/2005 दिनांक 09 जुलाई 2005 के द्वारा जनपद नियुक्ति के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक की शक्तियों एवं दायित्वों का निर्धारण किया जायेगा।

2.5.1 कर्तव्य

2.5.1.1 संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही सम्बन्धी:

1. संगठित अपराधियों तथा भाड़े पर हत्या, फिराती हेतु अपहरण रोलडहोल्डप बैंक डैकेत आटोलिभ मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले हवाला व्यापार करने वाले नक्सलवादी गैंग एवं राष्ट्र विरोधी तत्व माफिया आदि को चिन्हित कर उनकी गैंगवार सूची तैयार कराना एवं तत्सम्बन्धी सभी सूचनाये एकत्र कर उन्हे पंजीकृत कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करना।
2. पंजीकृत अपराधियों का डोजियर तैयार कराना।

-11-

3. संगठित अपराधियों को विरुद्ध कार्य योजना तैयार कर के जनपदीय पुलिस अधीक्षक के अनुमोदन से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
4. संगठित अपराधियों की गिरफ्तारी होने पर विस्तृत पुछताछ आख्या तैयार कराना।

2.5.1.2 सक्रिय एवं वांछित अपराधी सम्बन्धी:

1. सक्रिय एवं वांछित अपराधियों की सूची तैयार कराना हिस्ट्रीशीट खुलवाना गिरफ्तारी हेतु कार्य योजना बनाकर दबिस दिलवाना।
2. फरार अपराधियों के विरुद्ध पुरस्कार घोषित कराना।

2.5.1.3 अपराधिक सूचना का एकत्रीकरण:

1. पेशेवर अपराधियों की अभिसूचना एकत्रित करण हेतु श्रोत बनाना।
2. जेल में बन्द पेशेवर अपराधियों की जानकारी करना।
3. जेल से छूटने वाले पेशेवर अपराधियों की निगरानी।
4. अन्य माध्यमों से अपराधिक अभिसूचना का एकत्रीकरण

2.5.1.4 विशेष अपराधों के सम्बन्ध में:

1. समस्त विशेष अपराधों की घटना स्थल के निरीक्षण।
2. क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचनाओं की पर्यवेक्षण आख्या।
3. क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचना वाले एस.आर. केस राजनितिक हत्या दो या दो से अधिक व्यक्तियों की हत्या

विशेष अपराधों के सम्बन्ध में:-

1. समस्त विशेष अपराधों के घटनास्थल के निरीक्षण।
2. क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचनाओं की पर्यवेक्षण आख्या।
3. क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचना वाले एस.आर. केस राजनितिक हत्या दो या दो से अधिक व्यक्तियों की हत्या, बलात्कार के साथ हत्या, ऐसी हत्या जो कानून को प्रभावित करती हो, डैक्टी, फिरौती, अपहरण, हत्या सहित लूट, संसनीखेज लूट, पुलिस अभिरक्षा से पलायन, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, गैंगस्टर एक्ट के केसों को छोड़ कर शेष समस्त एस.आर. केस की क्रमागत आख्या का अनुमोदन (प्रथम व अन्तिम को छोड़कर) अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।
4. य- क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं क्षेत्राधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित कराना।
- र- फिक्स पिकेट एवं गस्त की योजना बनाकर प्रभावी व्यवस्था कराना।
- ल- क्षेत्र के समस्त थानों पर दो माह में एक बार अर्दली रुम चेक कराना।

अभियोजन:-

न्यायालय में लम्बित वादो को प्रभावी पैरवी, पैरोकार / कोर्ट मोहर्र की मासिक बैठक तथा सेशन ट्रायल अभियोगों में विमुक्ति आख्या का विषलेशण कराना।

2.5.2 अपर पुलिस अधीक्षको के अधिकार:-

2.5.2.1- स्थानान्तरण सम्बन्धी:-

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के अर्धशासकीय पत्र संख्या: एक-252-84 दिनांक 08.01.1985 के प्रस्तर 5 के बिन्दु संख्या 4 में निहित निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही स्थानान्तरण के सम्बन्ध में की जायेगी।

2.5.2.2- वार्षिक मन्तब्द्यः-

शासनादेश संख्या: 1460/छ:-पु.-1-99-51/99 के अनुसार वार्षिक मन्तब्द्य का अंकन कराना।

2.5.2.3- दण्ड सम्बन्धी:- अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रचलित नियमावली के अनुरूप अपने अधिनस्थ पुलिस कर्मियों विरुद्ध जाँच कराई जा सकती है, परन्तु जाँच आख्यायों पर दण्ड पत्रावली खुलवाने का अधिकार जनपदीय पुलिस अधीक्षक का ही होगा।

2.6 संसद व विधान मन्डल द्वारा समय-समय पर पारित अन्य विविध अधिनियमों और शासनादेशों द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ तथा उनसे आपेक्षित कर्तव्यः

2.7 संसद व विधान मन्डल द्वारा समय समय पर पारित अन्य अधिनियमों व शासन व उच्चाधिकारी स्तर से समय-समय पर निर्गत आदेशों व निर्देशों द्वारा भी पुलिस बल को दिशानिर्देश प्राप्त होते रहते हैं इनके आधार पर पुलिस बल से आपेक्षित कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

3.निर्णय लेने की प्रक्रिया की कार्यविधि के पर्यवेक्षण व उत्तरदायित्व के स्तर:-

3.1 अनुसंधान/विवेचना:-

क्र०सं०	कार्यवाही	कार्यस्तर	अवधि
1.	प्रका पंजीकरण ०रि०सू०	दण्ड प्रक्रिया संहिता के 154 साथ संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप होने पर थाने के भार साथक अधिकारी के द्वारा निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी इतिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निःशुल्क दी जायेगी भार साथक अधिकारी द्वारा इतिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इतिला डाक द्वारा दी जा सकती है।	अविलम्ब
2.	साक्षियों का परीक्षण	दण्ड प्रक्रिया संहिता के 161 अनुसार	यथाशीघ्र
3.	विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण	दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार	यथाशीघ्र
4	पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण	विशेष अपराध की स्थिति में सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी व अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है	यथाशीघ्र
5	साक्ष्य का संकलन	दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार	कार्यवाही यथाशीघ्र
6	नक्सा नजरी तैयार करना	दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार	निरीक्षण के समय
7	अभियुक्तों की गिरफ्तारी	दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार	निरीक्षण के समय
8	सस्वीकृति का लिखा जाना	दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार	निरीक्षण के समय
9	पुलिसन्यायालय अभिरक्षा की रिमाण्ड / प्राप करना	दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार	निरीक्षण के समय
10	तलाशी	दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार	निरीक्षण के समय
11	निरुद्धी	दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार	निरीक्षण के समय
12	अभियोग दैनिकी का तैयार किया जाना	दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार	निरीक्षण के समय
13	आरोप पत्र का दाखिल करना	दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार	निरीक्षण के समय

3.2 नियन्त्रण कक्ष

जनपद के नियन्त्रण कक्ष कमान्ड संगठन के रूप में जनपद की तान्त्रिकी की तरह कार्य कराता है जो कानून व्यवस्था, अपराध, यातायात समस्या व अन्य संगत समस्याओं की सूचना प्राप्त करता है। तथा स्थानीय पुलिस की उस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश देता है बाढ़ एवं अन्य दैविक आपदाओं के सम्बन्ध में तत्पर्ता से कार्य कराता है। जनपद में वर्तमान में निम्न नियंत्रण कक्ष स्थापित हैं।

क्र0स0	कार्यवाही	टेलीफोन नम्बर	कार्य
1	जिला नियंत्रण कक्ष	1-CUG-9454417379 2-LANDLINE 05412-262466	जनपद के सम्बन्ध में सूचनाओं को प्राप्त कर तदानुसार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को तत्काल अवगत कराया जाता है।
2	फायर नियंत्रण कक्ष	101	फायर नियंत्रण कक्ष में फायरसर्विस की गाँड़िया उपलब्ध रहती है।
3	यू०पी० 100	100	यू०पी० 100 मुख्यालय से इवेन्ट प्राप्त होने पर यू०पी० 100 कर्मीयों द्वारा निर्धारित समय में शिकायत पी०आर०वी० अटेन्ड कर उसका निवारण करना / कराना।

इन नियंत्रण कक्षों पर 24 घन्टे कन्ट्रोल रूम आपरेटर की नियुक्ति रहती है उन पर दी गयी सूचनाओं को तत्काल लाग बुक में लागू किया जाता है तथा सम्बन्धित को कार्यवाही हेतु सूचित किया जाता है वर्षा काल के बाद नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना आवश्यकतानुसार की जाती है।

3.3 शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

3.3.1 थानो पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया

क्र0स0	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समायवधि
1	थाने पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर उसकी प्राप्ती स्वीकार कराना	थानाध्यक्षउपस्थित /दिवसाधिकारी/ कास्टेबल कर्लक द्वारा	तत्काल
2	प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने वाले का नाम आगन्तुक रजिस्टर में अंकित कराना	दिवसाधिकारीउपस्थित कास्टेबल / कर्लक द्वारा	अविलम्ब
3	प्रार्थनापत्र को जन शिकायत रजिस्टर में अंकित कराना	उपस्थित कास्टेबल कर्लक द्वारा	अविलम्ब
4	जाँच अधिकारी नियुक्त कराना व जाँच हेतु सौंपना	थाना प्रभारी द्वारा	01 दिवस
5	जाँच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जाँच कराना व आवश्यक कार्यवाही कर के रिपोर्ट देना	जाँच अधिकारी द्वारा	05 दिवस में
6	थानाध्यक्ष द्वारा जाँच की समीक्षा कराना	थानाध्यक्ष द्वारा	01 दिवस
7	जाँच रिपोर्ट पर अग्रेतर कार्यवाही यदि आवश्यक होकराना ,	थानाध्यक्ष द्वारा	अविलम्ब
8	जाँच रिपोर्ट का रखरखाव-	सम्बन्धित कास्टेबल कर्लक द्वारा	01 वर्ष तक

3.3.2 पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

क्र0स0	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1	पुलिस अधीक्षक कार्यालय की प्रधान लिपिक शाखा में उसकी प्राप्ती कराना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
2	पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं या इस कार्य हेतु निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा लिफाफे को खोला जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी (क्षेत्राधिकारी) द्वारा (मुख्यालय	01 दिवस

3	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कराना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	01 दिवस
4	प्रार्थना पत्र का डाक रजिस्टर में अंकित कराना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
5	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रार्थनापत्र का परिशीलन कर याता स्वयं जाँच हेतु रखना या सम्बन्धित थानाध्यक्ष को जाँच हेतु भेजना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा	02 दिवस
6	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कान्सकर्लक द्वारा आडर बुक करना	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कान्सटेबल वलर्क द्वारा	अविलम्ब
7	सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थनापत्र का परिशीलन कर यातों स्वयं जाँच कराना या सम्बन्धित उ0नि0/बीट आरक्षी को जाँच हेतु भेजना	थानाध्यक्ष द्वारा	02 दिवस
8	जाँच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जाँच कराना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	जाँच अधिकारी द्वारा	08 दिवस
9	थानाध्यक्ष द्वारा जाँच रिपोर्ट की समीक्षा करके सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित कराना	थानाध्यक्ष द्वारा	अविलम्ब
10	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा जाँच सही पाये जाने पर जाँच रिपोर्ट को दाखिल दफ्तर किया जाना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा	अविलम्ब
11	जाँच रिपोर्ट का रखरखाव-	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कान्सटेबल वलर्क द्वारा	02 वर्ष तक

3.3.3 पुलिस अधीक्षक को शासन, आयोग व अन्य उच्चाधिकारी गणों से प्राप्त प्रार्थनापत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

क्र0स0	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1	पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रार्थनापत्र का परिशीलन कर के सम्बन्धित अपर पुलिस अधीक्षकक्षेत्राधिकारी या / थानाध्यक्ष को जाँचहेतु आदेशित कराना	पुलिस अधीक्षक द्वारा	01 दिवस
2	प्रार्थना पत्र को डाक बहिर रजिस्टर में अंकित कराना व सम्बन्धित को जाँच हेतु प्रेषित कराना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब

3	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारीथानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थनापत्र का / परिशीलन करस्वयं जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारीथानाध्यक्ष द्वारा/	07 दिवस
4	क्षेत्राधिकारीकलर्क द्वारा 0थानाध्यक्ष कार्यालय के कान्स/आडर बुक करना	क्षेत्राधिकारीथानाध्यक्ष / कलर्क 0कार्यालय के कान्स द्वारा	अविलम्ब
5	पुलिस अधीक्षक द्वारा जाँच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर सम्बन्धित को रिपोर्ट प्रेषित करना	पुलिस अधीक्षक द्वारा	02 दिवस

3.3.4 थाना समाधान दिवस में थाना स्तर पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या-1742 पी/छ पु0 3/2014/42 जी/2005 दिनांक 14/06/14 के अनुसार समाधान दिवस में प्राप्त जन समस्याओं के निस्तारण की प्रक्रिया:-

जन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निस्तारण किया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है शासन द्वारा यह अनुभव किया जा रहा है अधिकारी से मिलने के समय केवल पीड़ित पक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करता है, परन्तु उसकी समस्या का समाधान तब तक सम्भव नहीं हो सकता है जब तक की दोनों पक्षों को एक साथ बुलाकर उनका पक्ष जानकर पंचायती व विधिक तरीके से सुलझाने का प्रयास न किया जाय इसके लिए थाना सर्वाधिक उपयुक्त स्थल हो सकता है क्योंकि अधिकांश समस्यायें भूमि विवाद, सर्कस व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़न शारीरिक हिंसा तथा जबरजस्ती से संबन्धित होती है।

- 1- थाना स्तर पर उभय पक्ष द्वारा तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में पक्षकारों की एक साथ सुनवाई कर पंचायती तरीके से अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही त्वरित निदान सम्भव हो सकता है।
- 2- थाना स्तर पर जनसामान्य के प्रति सम्बोधन शीलता का अभाव होने और लोगों के मन में थाना पर जाने के प्रति भय की भावना विद्यमान होने के कारण यह आवश्यक है कि इस प्रकार की कार्यवाही के दिन प्रत्येक थाने पर एक राजपत्रित अधिकारी भी उपस्थित रहो इस अवसर पर थानाध्यक्ष और पुलिस के विरुद्ध भी यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उक्त अधिकारी उसका संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक/जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं। इससे लोगों का थाने पर जाने में संकोच हटेगा तथा उन्हे थाना जाने के प्रति व्याप्त भय की भावना भी समाप्त होगी और थाने में प्रभुत्व एवं अधिकारिता के माहौल में पंचायती ढंग से समस्याओं को निपटाने का प्रयास अपेक्षाकृत अधिक परिणाम दायक हो सकते हैं।
- 3- इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु थाना समाधान दिवस का आयोजन कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। इस सम्बन्ध में निम्नवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय:-

 - (क) प्रत्येक शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन प्रातः 10.00 बजे से 02.00 बजे तक किया जाय और उस दिन समस्त राजस्व एवं पुलिस कर्मी थाने पर उपस्थित रहेंगे।
 - (ख) थाना समाधान दिवस के अवसर पर उपस्थित होकर नेतृत्व प्रदान करने हेतु राजस्व एवं पुलिस विभाग के समस्त राजपत्रित अधिकारियों का एक रोस्टर बनाया जाय जो प्रत्येक वैमास बदला जाया करेगा।
 - (ग) थाना समाधान दिवस के अवसर पर प्राप्त शिकायतों में की उपस्थित सुनिश्चित कराकर राजस्व एवं पुलिस पक्ष जानकर आपस में समस्या का निवारण किया जायेगा ऐसे निस्तारित प्रत्येक मामले का इन्द्राज जीडी में किया जायेगा, ताकि भविष्य में इसी सम्बन्ध में पुनः शिकायत का अवसर उत्पन्न होने पर उक्त इन्द्राज के आधार पर वैधानिक कार्यवाही करना सम्भव हो सके।

- (घ) जिन मामलों में मौका मुआयना की आवश्यकता हो उसमें 02 बजे के बाद पुलिस व राजस्व कर्मियों की टीमें गठित कर मौके पर भेजी जायेगी। महत्वपूर्ण प्रकरणों में थानाध्यक्ष, तहसीलदार, उपजिला मणिस्ट्रेट तथा क्षेत्राधिकारी की टीमें मौके पर जायेगी और निरीक्षण कर उभय पक्ष की आपसी सहमति से समस्या का निराकरण करेंगे।
- (ङ) थाना समाधान दिवस में प्रधानों की भी उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाय इससे समस्याओं के निराकरण में सुविधा रहेगी।
- (च) थाना समाधान दिवस का पूरा लाभ जन सामान्य को मिल सके, इसके लिए सभी सम्भव उपायों द्वारा इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाय।
- (छ) इस सम्बन्ध में प्रगति समीक्षा जिलाधिकारी एवं मंडलायुक्त के स्तर पर की जायेगी उनके द्वारा शासन को भी प्रतिमाह अवगत कराया जायेगा।

3.3.5 फायर सर्विस इकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण की प्रक्रिया:-

क्र0स0	प्रतिष्ठान	पत्रादेश प्राप्ति का स्थान/	निरीक्षण(द्वारा)	समयावधि
1	पेट्रोलडीजल/	जिलाधिकारी कार्यालय से	अग्निसमन अधिकारी	दिवस 15
2	पेट्रोलफुटकर) डीजल/ (डीजल/पेट्रोल	जिलाधिकारी जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय से	प्रभारी अग्निसमन अधिकारी	दिवस 15
3	गैस एजेन्सी	जिलाधिकारी	प्रभारी अग्निसमन अधिकारी	15दिवस
4	विस्फोटक पदार्थ	जिलाधिकारी कार्यालय से	प्रभारी अग्निसमन अधिकारी	दिवस 15
5	सिनेमा हाल	जिलाधिकारी कार्यालय से	प्रभारी अग्निसमन अधिकारी	दिवस 15
6	होटलरेस्टूरेट धर्मशाला/लाज/	जिलाधिकारीपर्यटक अधिकारी / कार्यालय से	प्रभारी अग्निसमन अधिकारी	दिवस 15
7	व्यवसायिक भवन	कार्यालय विकास प्राधिकरणआवास विकास निगम/	प्रभारी अग्निसमन अधिकारी	दिवस 15
8	फौकटी	कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र	प्रभारी अग्निसमन अधिकारी	दिवस 15

3.3.6 जनपद चन्दौली में यातायात प्रबन्ध:-

3.3.3.1 जनपद चन्दौली नगर क्षेत्र से होकर मुख्य रूप से निम्न जनपदों/प्रान्तों को विभिन्न प्रकार के वाहनों का संचालन होता है:-

- 1.वाराणसी जनपद चन्दौली सम्पर्क राज्य मार्ग ।
- 2.जनपद चन्दौली से जनपद गाजीपुर सम्पर्क मार्ग ।
3. जनपद चन्दौली से बिहार प्रान्त राज्य सम्पर्क मार्ग ।
- 4.जनपद चन्दौली से सकलडीहा सम्पर्क मार्ग ।
- 5.जनपद चन्दौली से नौगढ सम्पर्क मार्ग ।
- 6.जनपद चन्दौली से बबूरी सम्पर्क मार्ग ।
- 7.जनपद चन्दौली से मिर्जापुर सम्पर्क मार्ग ।

समर्स्ट व्यवसायिक वाहन उक्त मार्ग से अपने अपने सुविधानुसार संचालन होकर अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं, इसके अतिरिक्त जनपद में यात्री वाहनों के परिचालन हेतु निम्न बस, जीप, टैम्पों, स्टैन्ड आदि स्थापित हैं, बस, जीप, टैम्पो की सवारियों का संचालन होता है जिसकी व्यवस्था में टीएसआई की ड्यूटी लगाई जाती है।

क्र0स0	अपराध का विवरण	धारा	अधिकतम जुर्माना व सजा
1	अन्य व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस देना	6(2)/177	100-0रु 300
2	माह से अधिक समय से अन्य राज्य के 12 पंजीकरण संख्या का उपयोग करना	47/177	100-300
3	मांग किये जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करने में विफल रहना	130(1)/177	100-300
4	वाहन चलाते समय बाकमैनफोन का उपयोग 0मो/ करना	21(6)घा/(177 एवं)25/(177	100-300
5	बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाना	201/177	100-300
6	ड्राइवर द्वारा यातायात नियर्मों का उल्लंघन किया जानापीला प्रकाश /यातायाता लाल प्रकाश) और बिना संकेतों के गली बदलना (लगातार	119/177	100-0रु 300
7	ड्राइवर द्वारा विनिर्दिष्ट यातायात संकेतों का उपयोग न करना	121/177	100-0रु 300
8	तीन सवारी के साथ दो पहिया वाहन चलाना	128/177	100-0रु 300
9	सार्वजनिक स्थान पर खतरनाक ढंग से यान को पार्क करना	122/ 177, 126/177	100-0रु 300
10	चार पहिया यान के ड्राइवर तथा आगे की सीट पर बैठने वाली सवारी द्वारा सीटबेल्ट का उपयोग ना - किया जाना	138(3)/177	100-0रु 300
11	1.बिना नम्बर प्लेट के वाहन चलाना 2.नम्बर प्लेट का विहित प्रारूप में न बना होना अंको अथवा अक्षरों का विहित रूप और आकार में न होना	50/177, 51/177	100-0रु 300
12	विधि के अनुसार निर्देशों का अनुसरण न किया जाना	179(1)	0रु 500
13	असत्य सूचना देना अथवा सूचना छिपाना	179(2)	0रु 500
14	मोटरयान अधि0-के 4 एवं 3 की धारा 1988 विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति को अपना वाहन देना और चलाने की अनुमति देना	5/180	0रु 1000
15	अवयस्क व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाया जाना	4/181	0रु 500
16	सार्वजनिक स्थान पर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के यान चलाना	3/181	0रु 500
17	विहित गति सीमा से अधिक गति से यान चलाना	112/183	400-0रु 1000
18	मोटरयान खतरनाक रूप से चलाना	184	1000-0रु 2000

19	मानसिक अथवा शासीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति द्वारा यान चलाया जाना	186	200-0रु 500
20	सार्वजनिक स्थान पर सड़क सुरक्षाध्वनि नियंत्रक , और वायु प्रदूषण में विहित मानकों का उल्लंघन करना	190(2)	1000-0रु 2000
21	सार्वजनिक स्थान पर अपंजीकृत यान का उपयोग	39/192	5000-0रु 10000
22	बिना सरकार की लिखित अनुमति के मोटर वाहनों के रेस या ट्रायल आफ स्पीड में भाग लेना	189	0रु 500
23	बिना बीमा के वाहन का संचालन	146/196	0रु 1000
24	यान में अनाधिकृत हस्तक्षेप	198	0रु 100
25	यानों का उपयोग एवं गति स्थिरित करने सम्बन्धी आदेश का उल्लंघन	178,194(1)/115	0रु 2000

उपरोक्त धाराओं में किसी भी वाहन के अभिलेखों को चेक करने तथा सम्मत अपराध के अनुसार चालान करने की शक्ति जनपद के हेड कान्सेटेबिल(प्रो0बे0) एवं उसके ऊपर के समस्त अधिकारियों में निहित है। अधिनियम के अन्तर्गत उक्त धाराओं के उल्लंघन पर मौके पर ही सम्बन्धित पुलिस द्वारा चालान किया जाता है 03 प्रतियों में चालान की प्रविष्टियाँ की जाती है जो कि 03 विभिन्न रंग की होती है लाल रंग की प्रति न्यायालय/क्षेत्राधिकारी कार्यालय भेजा जाता है, पीले रंग की वाहन चालक को दिया जाता है तथा सफेद रंग की कार्यालय में रिकार्ड के रूप में रखा जाता है। जनपद में उक्त अधिनियमों में समायोजन सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित प्रपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यालय भेज दिये जाते हैं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अन्तर्गत रजिस्ट्री करण प्रमाणपत्र या परमिट आदि के बिना उपयोग किये गये वाहनों के निरुद्ध किया जाता है जिनका समायोजन केवल सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही होता है।

3.3.7 स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया:-

3.3.7.1 एफ0आर0ओ0 (विदेशी पंजीकरण अधिकारी)

जनपद के प्रभारी पुलिस अधीक्षक एफ0आर0ओ0 होते हैं जिनके पास पाक बंगलादेश व विदेशी नागरिकों के सम्बन्ध में अलग-अलग कर्तव्य हैं।

(अ) विदेशी शाखा/विदेशी नागरिकों के सम्बन्ध में:-

पाकिस्तान व बंगलादेश को छोड़कर अन्य देशों के नागरिक विदेशी कहलाते हैं, विदेशी नागरिकों के मामले में पुलिस अधीक्षक, विदेशी पंजीकरण अधिकारी के हैसियत से कार्य करते हैं जनपद में विदेशी नागरिक दो प्रकार के बीजा अवधि पर आते हैं, एक तो 180 दिन के कम के बीजा पर दूसरे 180 दिन के अवधि के अधिक के बीजा पर विदेशी जो आते हैं उनके पंजीकरण निम्न प्रकार के होते हैं।

- (1) 180 दिन से कम का बीजा लेकर जनपद से आये विदेशियों का पंजीकरण नहीं होता है केवल सूचना विदेशियों द्वारा या जिनका यहाँ ठहरे हैं के द्वारा दी जाती है।
- (2) 180 दिन से अधिक के बीजा अवधि पर आये विदेशियों का 14 दिवस के अन्दर पंजीकरण होता है।
- (3) जिसकी सूचना गृह मंत्रालय नई दिल्ली व पुलिस अधीक्षक(एफ) बी0सा0अभि0बी0उ0प्र0 को प्रेषित की जाती है। विदेशियों के निवास वृद्ध का अधिकार भी एफ0आर0ओ0 में निहित होता है।

(ब) पाकिस्तानी/बंगालादेशी नागरिकों के सम्बन्ध मे:-

पाक/बंगलादेशी नागरिकों के मामले में एफओआरओ० सिविल अथार्टी के हैसियत से कार्य करते हैं जनपद में पाक नागरिकों का पंजीकरण कर के रहे हुए अवधि में उनकी निगरानी करते हुए समय से पाक रवाना करने की जिम्मेदारी भी सिविल अथार्टी/पुलिस अधीक्षक की होती है।

पाक/बी०डी० नागरिकों की बीजा वृद्धि करने के सम्बन्ध में सभी अधिकार शासन को प्रदत्त सिविल अथार्टी द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित करने पर एल०टी०बी० पर रह रहे पाक नागरिकों को कार्ड शासन स्तर पर प्राप्त होता है वर्तमान में एस०टी०बी० पर (180 से कम) आये हुए पाक नागरिकों को बीजा वृद्धि पर शासन द्वारा रोक लगाई गयी है। पाक/विदेशी मामलों से सम्बन्धित कार्यवाही एल०आई०य०० कार्यालय में स्थित पाक/विदेशी शाखा से सम्पादित की जाती है जिसमें प्रभारी को तौर पर एक उ०नि० की नियुक्ति होती है।

3.3.7.2 पासपोर्ट:-

(अ) कार्यवाही का चरण:- पासपोर्ट आवेदन करने वाले व्यक्ति अपने आवेदन पत्रों को निम्न स्थानों पर जमा कर सकते हैं:-

1. क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ।
2. क्षेत्रीय कार्यालय की शाखा महमूरगंज- वाराणसी।
3. कार्यालय जिलाधिकारी चन्दौली।

जमा आवेदन पत्रों को सम्बन्धित जनपद के पुलिस प्रमुख को प्रेषित किया जाता है आवेदन पत्र प्राप्त के पश्चात संबन्धित जनपद के पुलिस अधिकारियों (उ०नि० व ह०कान्स० प्र००) द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की एक प्रति जिसमें आवेदन करने वाले व्यक्ति के वैयक्तिक विवरण अंकित होते हैं की जाँच की जाती है तथा वैयक्तिक विवरण पत्र के दूसरी प्रति आतंकवादी व अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के विषय में जानकारी करने हेतु क्षेत्रीय अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ प्रेषित किया जाता है अभिसूचना मुख्यालय से प्राप्त जाँच आख्या तथा जनपद के थानों व एल०आई०य०० से प्राप्त जाँच आख्या के आधार पर एक अलग आख्या बना कर नोडल अधिकारी(जी०ओ०) के हस्ताक्षर द्वारा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ या जिलाधिकारी कार्यालय चन्दौली प्रेषित किया जाता है।

पासपोर्ट कार्यालय द्वारा प्राप्त जाँच आख्या के आधार पर बर्यातानुसार पासपोर्ट जारी किया जाते हैं जो डाकखाना के माध्यम से आवेदक को प्राप्त कराये जाते हैं।

(ब) कार्यवाही किसे द्वारा अपेक्षित:-

आवेदन पत्र जमा होने के पश्चात निम्न स्तर पर कार्यवाही होती है।

(1) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी/जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा सम्बन्धित जनपदों से प्राप्त पुलिस प्रभारियों को वैयक्तिक विवरण पत्र जाँच हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं।

(2) जनपद पुलिस /एल०आई०य००/अभिसूचना मुख्यालय द्वारा जाँच की जाती है।

(3) जाँच आख्या नोडल अधिकारी(जी०ओ०) के हस्ताक्षर से पासपोर्ट कार्यालय प्रेषित की जाती है।

(स) कार्यवाही की अवधि:-

जनपद में प्राप्त पासपोर्ट आवेदन पत्रों की पुलिस/अभिसूचना जाँच रिपोर्ट 20 दिन के अन्दर पासपोर्ट कार्यालय को प्रेषित किये जाने का निर्देश है इसके पश्चात पासपोर्ट कार्यालय द्वारा वर्यता के आधार पर पासपोर्ट जारी किये जाने का प्रावधान है।

3.3.8 सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने से सम्बन्धित प्रक्रिया:-

शासनादेश संख्या: 682 PGS/छ:-पु-2-14-700(1)/2001 दिनांक 09.05.2014 के अनुसार गनर/शैडो की अनुमन्यता हेतु जीवन भय का सही आकलन करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है। जिसमें पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक(अभिसूचना) स्थानीय अभिसूचना इकाई के सदस्य होते हैं। जिन व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक हो, जनपदीय समिति द्वारा उनके जीवन भय का आकलन कर स्थानीय स्तर पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था निम्नलिखित मानकों के आधार पर उपलब्ध करायी जाती है।

3.3.8.1 सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी मानकः-

क्रमांक		सुरक्षा का स्तर	व्यय भार का प्रतिशत
1	सांसद/विधायक	(क) एक सुरक्षा कर्मी (ख) औचित्य पाये जाने पर एक अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी।	(क) नि:शुल्क (ख) नि:शुल्क अतिरिक्त
2	निवर्तमान सांसद/विधायक	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी	10 प्रतिशत पर
3	प्रदेश स्तरीय शासकीय नियमों के अध्यक्ष/जिलापंचायत अध्यक्ष, नगर प्रमुख/कुलपति	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी	10 प्रतिशत पर
4	प्रदेश स्तर पर पंजीकृत मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी	10 प्रतिशत पर
5	अन्य किसी व्यक्ति को आवश्यकतानुसार जनपदीय समिति की संस्तुति पर	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी संख्या:22/छ:-पु-2-20016-700 (1)2001 दिनांक 01.01.2016 के अनुसार	आय के अनुसार जनपदीय समिति के निर्धारण के अनुसार
6	जघन्य अपराध होने पर पैरवी करने वाला/गवाह	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी की सामान्य व्यवस्था	समिति के निर्णय के अनुसार

किसी महानुभाव द्वारा सुरक्षा हेतु आवेदन पत्र देने पर जनपदीय समिति द्वारा उसके जीवन भय का आकलन किया जायेगा। जनपदीय समिति की संस्तुति पर पुलिस अधीक्षक द्वारा एक माह के लिये सुरक्षा कर्मी स्वीकृत किया जा सकता है। जिसे आवश्यकता पड़ने पर एक-एक माह दो बार यानी कुल 03 तक बढ़ायी जा सकती है। इससे अधिक अवधि के लिये सुरक्षा की आवश्यकता होने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से जनपदीय समिति के संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी, जिस पर विचारोपरान्त शासन द्वारा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जायेगा।

जनपद स्तर पर प्रदत्त सुरक्षा व्यवस्था(माननीय सांसद/विधायक/माठ मंत्री गण, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के माठ न्यायमूर्ति एवं श्रेणी बद्द संरक्षित महानुभावों की अनुमन्य सुरक्षा व्यवस्था को छोड़कर) की समीक्षा जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक माह की जाती है।

भुगतान पर सुरक्षाकर्मी देने से पूर्व कम से कम एक माह का व्यय भार अग्रिम जमा कराया जायेगा। यदि उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व संरक्षित व्यक्ति द्वारा अग्रिम व्यय भार जमा नहीं कराया जाता है तो जमा करायी गयी धनराशि की अवधि समाप्त होते ही सुरक्षा कर्मी वापस ले लिया जाता है।

वित्त नियंत्रक उपरोक्त पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पत्र संख्या: 3/ख-64-2017 दिनांक 30.03.2017 के द्वारा निर्धारित वसूली प्रभावी होगी—

क्रमांक	विवरण	दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी दरें		
		आरक्षी	मुख्य आरक्षी	उपनिरीक्षक
1	10 प्रतिशत निजी व्यय पर	10412	11948	15918
2	25 प्रतिशत निजी व्यय पर	26029	29871	39796
3	75 प्रतिशत निजी व्यय पर	78086	89614	119387
4	100 प्रतिशत निजी व्यय पर	104115	119485	159183

3.3.9 शस्त्र लाइसेन्स संस्तुति किये जाने की प्रक्रिया:-

क्रमांक	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	जिलाधिकारी कार्यालय से शस्त्र प्राप्ति की प्राप्ति	अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली	कार्य दिवस/कार्यालय अवधि में किसी भी समय।
2	सम्बन्धित थाने को अपराधिक इतिहास व आम शोहरत तथा सत्यापन हेतु भेजा जाना।	सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा	15 दिवस में
3	डीसीआरबी द्वारा जनपद में किये गये अपराध के सम्बन्ध में जाँच किया जाना।	प्रभारी डीसीआरबी	03 दिवस में
4	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा जाँच किया जाना।	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी	06 दिवस में
5	अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा जाँच किया जाना।	अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा	06 दिवस में
6	जिलाधिकारी कार्यालय को लाइसेन्स प्राप्ति संस्तुति/असंस्तुति सहित भेजा जाना।	थाना स्तर, एल0आई0यू0, डी0सी0आर0बी0, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक की आख्या के पश्चात् पुलिस अधीक्षक की आख्या के उपरान्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा	अविलम्ब

शस्त्र लाइसेन्स के नवीनीकरण के लिये आवेदक सम्बन्धित थाने में प्राप्त पत्र देंता है, थानाध्यक्ष की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा शस्त्र लाइसेन्स का नवीनीकरण किया जाता है।

3.3.10. विभिन्न प्रकार के चरित्र प्रमाण—पत्र निर्गत किये जाने की प्रक्रिया:-

3.3.10.1

क्र०सं०	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	आवेदक द्वारा चरित्र प्रमाण—पत्र हेतु पत्र प्रस्तुत करना।	प्रधान लिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र प्रमाण—पत्र हेतु निर्धारित 20 रूपये शुल्क के रूप में लिया जाना।	आंकिक कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3	चरित्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित थाने को जॉच हेतु भेजना।	कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक द्वारा	01 दिवस
4	सम्बन्धित थाने द्वारा जॉच व सत्यापन किया जाना।	सम्बन्धित थानाध्यक्ष / उ0नि० द्वारा	06 दिवस
5	एल0आई0य० द्वारा जॉच व सत्यापन किया जाना।	क्षेत्राधिकारी एल0आई0य० द्वारा	06 दिवस
6	चरित्र सत्यापन निर्गत किया जाना।	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	01 दिवस

3.3.10.2 पुलिस वेरीफिकेशन:-

क्र०सं०	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	पुलिस विभाग में चयनित पुलिस कर्मीयों के सत्यापन पुलिस कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना।	प्रधान लिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित थाने को जॉच हेतु भेजना।	कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3	सम्बन्धित थाने द्वारा जॉच व सत्यापन किया जाना।	सम्बन्धित थानाध्यक्ष / उ0नि० द्वारा	03 दिवस
4	एल0आई0य० द्वारा जॉच व सत्यापन किया जाना।	क्षेत्राधिकारी एल0आई0य० द्वारा	03 दिवस
5	चरित्र सत्यापन सम्बन्धित जनपद को भेजा जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

3.3.10.3 सर्विस वेरीफिकेशनः—

क्र०सं०	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	सरकारी विभाग में चयनित सरकारी कर्मीयों के सत्यापन सरकारी कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना।	प्रधान लिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित थाने को जॉच हेतु भेजना।	कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3	सम्बन्धित थाने द्वारा जॉच व सत्यापन किया जाना।	सम्बन्धित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा	03 दिवस
4	एल0आई0य० द्वारा जॉच व सत्यापन किया जाना।	क्षेत्राधिकारी एल0आई0य० द्वारा	03 दिवस
5	चरित्र सत्यापन सम्बन्धित जनपद को भेजा जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

3.3.10.4 मिलिट्री सर्विस वेरीफिकेशनः—

क्र०सं०	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	मिलिट्री विभाग में चयनित सैन्य कर्मीयों के सत्यापन सैन्य कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना।	प्रधान लिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित थाने को जॉच हेतु भेजना।	कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3	सम्बन्धित थाने द्वारा जॉच व सत्यापन किया जाना।	सम्बन्धित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा	03 दिवस
4	एल0आई0य० द्वारा जॉच व सत्यापन किया जाना।	क्षेत्राधिकारी एल0आई0य० द्वारा	03 दिवस
5	चरित्र सत्यापन सम्बन्धित जनपद को भेजा जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

3.3.10.5

ठेकेदारी वेरीफिकेशन:-

क्र०सं०	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	जिलाधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र मय शपथ—पत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त।	प्रधान लिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र प्रमाण—पत्र हेतु निर्धारित 20 रूपये शुल्क के रूप मे लिया जाना।	आंकिक कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3	चरित्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित थाने को जॉच हेतु भेजना।	कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
4	सम्बन्धित थाने द्वारा जॉच व सत्यापन किया जाना।	सम्बन्धित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा	07 दिवस
5	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा सत्यापन की संस्तुति/असंस्तुति करना।	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा	07 दिवस
6	एल0आई0य० द्वारा जॉच व सत्यापन किया जाना।	क्षेत्राधिकारी एल0आई0य० द्वारा	07 दिवस
7	चरित्र सत्यापन सम्बन्धित जनपद को भेजा जाना।	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

4. कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाये जाने वाला मानदण्ड

4.1 जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार की जाँचों के लिये निर्धारित किये गये मापदण्डः—

क्र०सं०	कार्य	कार्यवाही हेतु निर्धारित मापदण्ड
1	अनुसंधान / विवेचना	दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में।
2	थानों पर प्राप्त प्राठ पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना।	07 दिवस
3	पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्राठ पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना।	07 दिवस
4	पुलिस अधीक्षक को विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्राठ की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना।	07 दिवस
5	फायर सर्विस इकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण।	15 दिवस
6	पासपोर्ट की जाँच।	15 दिवस
7	शस्त्र लाइसेन्स की संस्तुति किया जाना।	30 दिवस
8	प्राइवेट वेरीफिकेशन	14 दिवस
9	पुलिस वेरीफिकेशन	06 दिवस
10	सर्विस वेरीफिकेशन	06 दिवस
11	मिलिट्री सर्विस वेरीफिकेशन	06 दिवस
12	ठेकेदारी वेरीफिकेशन	10 कार्य दिवस

4.2 पुलिस आचरण के सिद्धान्तः—

1. भारतीय संविधान में पुलिस जन की सम्पूर्ण निष्ठा व संविधान द्वारा नागरिकों को दिये गये सम्मान करना।
2. बिना किसी भय पक्षपात अथवा प्रतिशोध की भावना के समस्त कानूनों को दृढ़ता व निष्पक्षता निष्पादन करना।
3. पुलिस जन को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की परिसीमाओं पर पूरा नियंत्रण रखना।
4. कानून का पालन कराने अथवा व्यवस्था बनाये रखने के काम में जहाँ तक सम्भव हो समझाने—बुझाने का प्रयास यदि बल पूर्वक करना हो तो कम से कम बल प्रयोग करना।
5. पुलिस जन के मुख्य कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना।
6. पुलिस जन को यह ध्यान में रखना कि वह जनसाधारण का ही अंग है। तथा वे वही कर्तव्य रहे हैं जितनी विधान न समान नागरिकों से अपेक्षा की है।
7. प्रत्येक पुलिस जन को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सफलता पूरी तरह से नागरिक सहयोग पर आधारित है।
8. पुलिस जन को नागरिकों के कल्याण उनके प्रति सहानभूति व सद्भाव हृदय में रखना।
9. प्रत्येक पुलिस जन को विषम परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाये रखना और दूसरों की सुख्खा हेतु अपने प्रणों तक को उत्सर्ज करने के लिये तत्पर रहना।
10. हृदय से विशिष्टता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, आत्मगौरव व साहस से जनसाधारण का विश्वास जीतना।
11. पुलिस जन को व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक जीवन में कदाचार, वाणी व कर्म में सत्यशीलता व ईमानदारी बनाये रखना।
12. पुलिस जन को उच्चकोटी का अनुशासन रखते हुए कर्तव्य का विधान अनुकूल सम्पादन करना।
13. सर्वधर्म सम्माव एवं लोकतात्रिक राज्य के पुलिस जन होने के नाते समस्त जनता में सौहार्द व भाईचारे की भावना जागृत करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहना।

**5. कर्तव्यों के निर्माण हेतु अपनाये जाने वाले नियम,विनियम,निर्देश,निर्देशिका व
अभिलेख:-**

क्र०सं०	अधिनियम,नियम,रेगुलेशन का नाम
1	पुलिस अधिनियम 1861
2	भारतीय दण्ड संहिता 1861
3	द०प्र०संहिता 1973
4	उ०प्र० पुलिस रेगुलेशन 1861
5	उ०प्र० पुलिस कार्यालय मैनुअल 1861
6	साक्ष्य अधिनियम 1872
7	आर्म्स एक्ट 1959
8	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1989
9	अनु०जाति व अनु०जनजाति अधिनियम 1989
10	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949
11	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955(उ०प्र०संशोधन अधिनियम 1978)
12	चौर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदय अधिनियम 1980
13	खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1986
14	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
15	पशु अतिवार अधिनियम 1861
16	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988
17	बन्दी अधिनियम 1900
18	सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867
19	किशोर न्याय अधिनियम 1986
20	दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961
21	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980
22	स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985
23	स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988
24	बन्दियों की शिनाख्त अधिनियम 1930
25	लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1980
26	विस्फोटक अधिनियम 1884
27	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908
28	कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984
29	अपराधी परिवेक्षा अधिनियम 1958
30	अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
31	महिला अधिष्ठ रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986
32	भारतीय वन अधिनियम 1927
33	वन संरक्षण अधिनियम 1980
34	विधि विरुद्ध किया कलाप निवारण अधिनियम 2004
35	बन्दी न्यायालयों में उपस्थित अधिनियम 1955
36	विष अधिनियम 1919
37	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993

38	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विनियम 1994
39	रेल अधिनियम 1989
40	रेलवे सुरक्षा अधिनियम 1957
41	रेल सम्पत्ति(विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1986
42	पुलिस बल (अधिकारों पर निर्बन्धन) अधिनियम 1966
43	पुलिस दोह उद्दीपन अधिनियम 1922
44	राज्य सशस्त्र पुलिस बलों (कानून का विस्तार) अधिनियम 1952
45	केविल दुरदर्शन नेटर्वर्क विनियम अधिनियम 1995
46	ब्याज अधिनियम 1978
47	उ0प्र0 गिरोह बन्द और समाज विराधी किया कलाप अधिनियम 1986
48	उ0प्र0 गो सेवा आयोग 1999
49	उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण नियमावली 1970
50	उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976
51	उ0प्र0 प्रादेशिक सशस्त्र आरक्षक वर्ग अधिनियम 1948
52	उ0प्र0 डकैती प्रभावी क्षेत्र अधिनियम 1983
53	उ0प्र0 पुलिस रेडियो सेवा नियमावली 1979
54	उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधिनियम 1944
55	उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दण्ड(दण्ड एवं अपील) 1991
56	उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन व अपील नियमावली) 1999
57	उ0प्र0 गोवध निवारण नियमावली 1955
58	उ0प्र0 गोवध निवारण नियमावली 1964
59	उ0प्र0 गोशाला अधिनियम 1964
60	उ0प्र0 गोशाला नियमावली 1964
61	उ0प्र0 गो सेवा आयोग नियमावली 1994
62	सूचना प्रायोगिकी अधिनियम 2000
63	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
64	वितीय हस्त पुस्तिका
65	समय—समय पर निर्गत शासनादेश
66	उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत परिपत्र व अन्य निर्देश

नोट:-

इसके अतिरिक्त तत् समय प्रचलित अन्य विधिया भी पुलिस कार्य प्रणाली को सशक्त एवं विनियमित करती है।

6. विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों की श्रेणी:-

6.1 विभिन्न थानों व अन्य कार्यालयों में रखे जाने वाले अभिलेख:-

क्र 0 0सं	अभिलेखों की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाईशाखा जहाँ / उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी।
1.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अपराधों के सम्बन्ध में दी गयी सूचनाएँ एवं विवेचक के सम्बन्ध में	सभी पुलिस थानों पर	तीन साल। वर्तमान में सीसीटीएनएस योजना में ऑनलाइन कार्य हो रहा है।
2.	दैनिकी सामान्य	सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस अधिकारीकर्मचारीगण / की रखानगी वापसी ड्यूटी का सम्पूर्ण विवरण	सभी पुलिस थानों व पुलिस लाइन में	एक साल थाने पर उसके बाद साल तक पुलिस 05 कार्यालय के रिकार्ड रुम में। वर्तमान में कम्प्यूटरीकृत ऑनलाइन अंकन।
3.	सभी स्टैण्डिंग आर्डर	पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस अधिकारीकर्मचारी दिये / निर्देशों का विवरण	सभी शाखा व थानों पर	स्थायी रूप से रखा जायेगा राजपत्रित अधिकारी के आदेश पर ही नष्ट होगा।
4.	भगोड़ा (मफरुर) रजिस्टर	सभी फरार अपराधियों का विवरण	सभी थानों पर	वर्ष 05
5.	रोकड बही	धनराशि की आमद व खर्च का विवरण	सभी थानेपुलिस लाइन / में	एक वर्ष थाना इकाई उसके बाद वर्ष तक पुलिस 09 आफिस रिकार्ड रुम में
6.	आरोप पत्र	अभियोग में प्रेषित पुलिस रिपोर्ट	सभी पुलिस थाने पर	एक साल
7.	चिक खुराक	अभियुक्तों के भोजन व्यय किराया व्यय आदि की प्रतिपूर्ति	सभी पुलिस थाने पर	तीन साल
8.	के 0स0प्र0द 356 अधीन दोष सिद्ध अपराधी रजिस्टर	उक्त नियमानुसार दोष सिद्ध अपराधियों का विवरण	सभी पुलिस थाने पर	जब सभी कैदियों की अवधि हो समाप्त चुकी हो
9.	के 0स0प्र0द 432 अधीन सर्वत मुक्त किये गये कैदी रिकार्ड रजिस्टर	उक्त नियमानुसार दोष सिद्ध अपराधियों का विवरण	सभी पुलिस थाने पर	जब सभी कैदियों की अवधि हो समाप्त चुकी हो

10.	गोपनीय सासाहिक रिपोर्ट	थाना क्षेत्र साम्प्रदायिक राजनैतिक व अन्य गतिविधियों की गोपनीय सूचना	उक्त नियमानुसार दोष सिद्ध अपराधियों का विवरण	एक साल
11.	अपराध रजिस्टर	थाना क्षेत्र में हुए अपराधिक घटनाओं का विवरण	सभी पुलिस थाने पर	पाँच साल
12.	चौकिदारों की अपराध नोट बुक	चौकिदारों के ग्राम में घटित घटनाओं का विवरण	सूची चौकिदारों के पस	चौकिदारों को जब तक नई नोट बुक प्रदान न की जाय
13.	ग्राम अपराध रजिस्टर (रजिस्टर नं)-08)	उस गाँव में घटित होने वाले अपराध का विवरण	सभी पुलिस थाने पर	स्थायी रूप में
14.	डिफाल्टर रजिस्टर	कर्मचारी की त्रुटि व उसके लिए दी गयी हिदायत का उल्लेख	सभी थानों पुलिस लाइन / में	एक साल पूर्व होने के बाद
15.	केस डायरी	विवेचना के कृत कार्यवाही का विवरण	सभी थानों विवेचकों के / पास	पाँच साल
16.	अन्तिम रिपोर्ट	अभियोग में विवेचनोपरान्त प्रेषित रिपोर्ट	सभी थानों पर	एक साल
17.	अंगुष्ठ छाप रजिस्टर	अपराधियों का नाम पता जिसका अंगुष्ठ छाप लिया गया है।	सभी पुलिस थाने पर	स्थायी रूप से
18.	चिक गैरदस्तन्दाजी	अहस्तक्षेपीय अपराधों की सूचक	सभी पुलिस थाने पर	तीन साल
19.	गिरोह रजिस्टर	पंजीकृत गैंगों का विवरण	सभी थानों पर व डीसीआरबी में	पूर्व होने के पाँच साल तक
20.	मरम्मत रजिस्टर	मरम्मत के लिये प्राप्त धन व उसके व्यय का विवरण	सभी पुलिस थाने पर	दो साल
21.	जाँच पर्ची 'अ'	थाना क्षेत्र के दुराचारियों के बाहर जाने पर जारी किया जाने वाले पत्र	सभी पुलिस थाने पर	तीन साल
22.	जाँच पर्ची 'ब'	थाना क्षेत्र से मिलने वाले संदिग्ध आचरण के व्यक्तियों के लिये जारी पत्र	सभी पुलिस थाने पर	तीन साल

23.	सूची हिस्ट्रीशीटर	दुराचारियों का विवरण	सभी पुलिस थाने पर	स्थाई रूप से
24.	पंचायतनामा जिल्ड	अस्वभाविक मृत्यु की जाँच का विवरण	सभी पुलिस थाने पर	एक साल
25.	निरीक्षण पुस्तिका	निरीक्षण का विवरण	सभी पुलिस थाने पर व शाखाओं में	पाँच साल
26.	माल मसरुका रजिस्टर	चोरीलूटी गयी एवं बरामद / सम्पत्ति का विवरण	सभी पुलिस थाने पर	एक साल
27.	रिमाण्ड शीट पुलिस प्रपत्र	अभियुक्तों को रिमाण्ड के लिए अनुरोध पत्र	सभी पुलिस थाने पर	एक साल
28.	मजिस्ट्रेटों के लिए निरीक्षण पुस्तिका	मजिस्ट्रेटों के द्वारा निरीक्षण के दौरान उल्लेख	सभी पुलिस थाने पर	पूर्णतया से पाँच साल तक
29.	धारा के अन्तर्गत 109 कार्यवाही	संदिग्ध अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु	सभी पुलिस थाने पर	दो वर्ष
30.	सीआरपीसी के 110 अन्तर्गत कार्यवाही	अभ्यस्त अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु	सभी थानों पर	दो वर्ष
31.	थानाध्यक्ष की गोपनीय पुस्तिका	क्षेत्र की गोपनीय अभिसूचनाये	सभी पुलिस थाने पर	स्थाई
32.	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	सभी कार्यालयों में	किसी राजपत्रित अधिकारी के नष्ट किये जाने के आदेश तक
33.	परिपत्र अनुदेशों की फाइल	परिपत्रों सम्बन्धी निर्देश	सभी कार्यालयों में	किसी राजपत्रित अधिकारी के नष्ट किये जाने के आदेश तक
34.	अपराधी जन जातियों का रजिस्टर	अपराधी जन जातियों के सम्बन्ध	समस्त थानों प	उनके मृत्यु तक
35.	सक्रिय अपराधी रजिस्टर	क्षेत्राधिकारी द्वारा अनुमोदित क्षेत्र के सक्रिय अपराधों की सूची	सभी पुलिस थाने पर	निगरानी उचित समझे जाने तक
36.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	सभी पुलिस थाने पर	पाँच वर्षों तक
37.	आर्डर बुक न्यायालय	कोर्ट प्रोसीजर की सूची	समस्त थानों पर	पाँच वर्षों तक
38.	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	सभी पुलिस थाने पर	पाँच वर्षों तक
39.	भवन रजिस्टर	थाने की खसराखतौनी व - भवनों के सम्बन्ध में	सभी पुलिस थाने पर	स्थायी

40.	गुमशुदगी रजिस्टर	गुमशुदा व्यक्तियों के सम्बन्ध में	सभी पुलिस थाने पर	स्थायी
41.	गिरफ्तारी रजिस्टर	गिरफ्तारी व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना	सभी पुलिस थाने पर	पाँच वर्षों तक
42.	जमानत रजिस्टर	दी जाने वाली जमानत का विवरण	सभी पुलिस थाने पर	पाँच वर्षों तक
43.	काज लिस्ट रजिस्टर	न्यायालय द्वारा अभियोजन की शक्तिया व कार्यवाही का विवरण	सभी पुलिस थाने पर	पाँच वर्षों तक
44.	जन शिकायत रजिस्टर	थाना कार्यालयअन्य / कार्यालय में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र	सभी पुलिस थाने पर	दो वर्षों तक
45.	किरायेदार सत्यापन रजिस्टर	क्षेत्र के किरायेदारों के सत्यापन के सम्बन्ध में	सभी पुलिस थाने पर	स्थायी
46.	नियुक्ति रजिस्टर	थाने पर नियुक्त रहे कर्मचारियों के सम्बन्ध में	सभी पुलिस थाने पर	स्थायी
47.	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	समस्त कार्यालयों में	एक वर्ष तक

6.2 क्षेत्राधिकारी स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख:-

क्र0 सं0	अभिलेखों की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाईशाखा जहाँ / उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1.	अपराध रजिस्टर	सर्किल में पंजीकृत अभियोगों व केस डायरियो का संक्षिप्त विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	वर्ष तक 05
2.	जेड रजिस्टर	केस डायरियो को न्यायालय भेजने के दिनांक: सहित संक्षिप्त विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	स्थायी
3.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्र की सूची	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	वर्ष तक 05
4.	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
5.	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	वर्ष तक 05
6.	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	वर्ष तक 01
7.	विशेष अपराध पत्रावलिया	विशेष अपराधों का विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	स्थायी
8.	जाँच पत्रावलिया	शिकायतों की जाँच के सम्बन्ध में	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	वर्ष तक 05

6.3 अपर पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख:-

क्र0 सं0	अभिलेखों की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाईशाखा जहाँ / उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	वर्ष तक 05
2.	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
3.	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	वर्ष तक 05
4.	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	वर्ष तक 01

5.	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थानों पर नियुक्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	स्थायी
6.	जाँच पत्रावलिया	शिकायतों की जाँच के सम्बन्ध में	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	वर्ष तक 05

6.4 पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख:-

क्र० सं०	अभिलेखों की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाईशाखा जहाँ / उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1.	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख	पुलिस महानिवेशक कार्यालय लखनऊ	स्थायी
2.	हिस्ट्रीशीट इन्डेक्स	जनपद के दुराचारियों का विवरण	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	स्थायी
3.	पुरस्कार रजिस्टर	जनपद के पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों की सूची	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	वर्ष तक 05
4.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्र की सूची	शिकायत प्रकोष्ठ	वर्ष तक 05
5.	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	प्रधान लिपिक कार्यालय	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
6.	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	वर्ष तक 01
7.	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	वर्ष तक 01
8.	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थानों पर नियुक्ति कर्मचारियों के सम्बन्ध में	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	स्थायी
9.	सर्विस बुकचरित्र / पंजिका	समस्त रेकों के कर्मचारियों के सेवा इतिहास	प्रधान लिपिक कार्यालय	स्थायी
10.	कैश बुकबिल -पे/ रजिस्टर	समस्त भुगतानों के लेनदेन - के सम्बन्ध में	आंकिक शाखा	स्थायी
11.	आकस्मिकता निधि रजिस्टर	आकस्मिकता निधि पर भारित व्ययों के सम्बन्ध में	आंकिक शाखा	स्थायी
12.	स्टाक रजिस्टर	सामान्य भण्डार के मदों का क्रय व विवरण	पुलिस लाइन	स्थायी

13.	हिन्दी आदेश पुस्तिका	समस्त आदेश जिनका प्रभाव वित्तिय भार पर पड़ता है।	पुसिस लाइन	वर्षों तक 40
-----	----------------------	--------------------------------------------------	------------	--------------

7. जनता की परामर्श दात्री समितियाः-

जनपदीय पुलिस में जनता के सदस्यों से पराश के लिए या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर निति-निर्धारण हमें विचार हेतु निम्नलिखित व्यवस्था विद्यमान है।

क्र 0सं0	समिति का नाम	समिति का गठन	भूमिका एवं दायित्व	गोष्ठियों की आवृत्ति
1.	ग्राम सुरक्षा समिति	प्रत्येक गाँव में 20 से 15 व्यक्तियों की समिति थानाध्यक्ष द्वारा गठित की जाती है।	गाँव में गठित होने वाले अपराध एवं अपराधियों की सूचना पुलिस को देना व अपराधियों से मुक़बला करना	समय समय पर-
2.	पुलिस पेन्शनर्स बोर्ड	जनपद के पुलिस पेन्शनर्स के द्वारा गठित होती है	पुलिस पेन्शनर्स के कल्याण हेतु पैरवों करना	त्रैमासिक
3.	उद्योग बन्धु	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के उद्यमियों की बैठक	उद्योगों के विकास में आने वाली कानून व्यवस्था की समस्या के समाधान हेतु	त्रैमासिक
4.	जिला सड़क सुरक्षा समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा कसे सम्बन्धित समस्त विभागों के अधिकारियों की समिति	दुर्घटनाओं के निवारण हेतु	त्रैमासिक
5.	जिला स्तरिय पत्रकार समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद में पत्रकारों की समिति	पत्रकारों की पुलिस से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु	त्रैमासिक
6.	शांति समिति	क्षेत्र में सम्भ्रान्त नागरिकों की समिति	सम्प्रदायिक सद् भाव बनाये रखने हेतु	आवश्यकतानुसार
7.	मेला समिति	मेले में सम्बन्धित व्यक्तियों की समिति	प्रमुख मेलों को सम्पन्न कराने हेतु	मेले के आयोजन से पूर्व
8.	सांसद व विधायकगण की गोष्ठी	समस्त सांसद व विधायकगण की गोष्ठी	शिकायतों के निस्तारण व सुझाव परामर्श के लिए	मासिक

8. बोर्डे, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय

पुलिस संगठन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं है।

9. अधिकारियों तथा कर्मचारियों की टेलीफोन डायरेकट्री

जनपद चन्दौली के पुलिस अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर

पद पुलिस अधिकारीगण	आवास नं०	कार्यालय नं०	सीयूजी
पुलिस अधीक्षक चन्दौली	05412-262479	05412-262480	9454400262
अपर पुलिस अधीक्षक	-	-	9454401037
अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन	-	-	9454401038
क्षेत्राधिकारी चन्दौली	-	-	9454401618
क्षेत्राधिकारी सकलडीहा	-	-	9454401620
क्षेत्राधिकारी चकिया	-	-	9454401619
क्षेत्राधिकारी आपरेशन	-	-	9454401621
क्षेत्राधिकारी कायांलय	-	-	9454401620
प्रतिसार निरीक्षक चन्दौली	-	-	9454402351
पी0आर030	-	-	-
फायर सर्विस चन्दौली	-	-	9454418607
मुगलसराय फायर स्टेशन	-	-	9454418401
आभिसूचना इकाई	-	-	9454402057
जिला नियन्त्रण कक्ष	-	-	7839856226
कोतवाली चन्दौली	-	-	9454403183
कोतवाली मुगलसराय	-	-	9454403187
कोतवाली चकिया	-	-	9454403182
कोतवाली सकलडीहा	-	-	9454403189
थाना सैयदराजा	-	-	9454403190
थाना अलीनगर	-	-	9454403178
थाना बबुरी	-	-	9454403179
थाना धीना	-	-	9454403185
थाना धानापुर	-	-	9454403184
थाना बुलआ	-	-	9454403180
थाना शहाबगंज	-	-	9454403191

થાના નૌગડ	-	-	9454403188
થાના કન્દવા	-	-	9454403192
થાના ઇલિયા	-	-	9454403196
થાના ચકરઘણ્ણા	-	-	9454403181
મહિલા થાના	-	-	9454404884

10. अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

10.1 सशस्त्र व नागरिक पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्र 0सं0	पद	वेतन बैण्ड	ग्रेड पे0 / लेवल	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता
1.	पुलिस अधीक्षक	37400-67000	8700 / 13	-	-
2.	अपर पुलिस अधीक्षक	15600-39100	7600 / 12	800	300
3.	पुलिस उपाधीक्षक	15600-39100	5400 / 10	800	300
4.	निरीक्षक	9300-34800	4600 / 7	1200	188
5.	उप निरीक्षक-	9300-34800	4200 / 6	1200	188
6.	मुख्य आरक्षी	5200-20200	2800 / 5	1500	188
7.	आरक्षी	5200-20200	2000 / 3	1500	188
8.	अनुचर	5200-20200	1800 / 1	1300	156

10.2 रेडियो शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्र 0सं0	पद	वेतन बैण्ड	ग्रेड पे0 / लेवल	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता
1.	रेडियो अनुरक्षण आधिकारीकैन्ड्र 0रे/ आधिकारी	9300-34800	4200 / 6	1200	188
2.	हेड आपरेटर	5200-20200	2800 / 5	1200	188
3.	सहायक परिचालक	5200-20200	2000 / 3	1200	188
4.	अनुचर सन्देशवाहन/	5200-20200	1800 / 1	1350	156

10.3 फायर सर्विस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्र 0सं0	पद	वेतन बैण्ड	ग्रेड पे0 / लेवल	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता
1.	अग्नि शमन अधिकारी	9300-34800	4200 / 6	800	300
2.	लीडिंग फायरमैन 0का0हे/ फायर सर्विस 0ड्रा	5200-20200	2800 / 5	1500	188
3.	फायरमैन	5200-20200	2000 / 3	1500	188
4.	अनुचर	5200-20200	1800 / 1	1350	156

10.4 लिपिक वर्गीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

क्र 0सं0	पद	पेय बैण्ड	ग्रेड पे0 / लेवल	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	विशेष भत्ता
1.	एस 0आई0(एम0)	9300-34800	4200 / 6	1200	188	निल
2.	ए 0आई0एस0(एम0)	9300-34800	2800 / 5	1200	188	-
3.	उर्दू अनुवादक व कानीक लिपिक	5200-20200	2000 / 3	-	-	-

10.5 परिवहन शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

क्र 0सं0	पद	वेतनमान	ग्रेड पे0	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	विशेष भत्ता
1.	मुख्य आरक्षी	5200-20200	2800 / 5	1200	188	300
2.	आरक्षी चालक	5200-20200	2000 / 3	1200	188	300
3.	चतुर्थ श्रेणी	5200—20200	1800 / 1	1350	188	-

10.6 स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

क्र 0सं0	पद	वेतनमान	ग्रेड पे0	पौष्टिक आहार भत्ता	विशेष भत्ता
1.	निरीक्षक अभिसूचना	9300-34800	4600 / 7	1200	2000
2.	उ अभिसूचना 0नि0	9300-34800	4200 / 6	1200	2000
3.	मुख्य आरक्षी अभिसूचना	5200-20200	2800 / 5	1500	1000
4.	आरक्षी अभिसूचना	5200-20200	2000 / 3	1500	1000

नोट:- उक्त वेतनमान दिनांक 01.01.2016 से सप्तम वेतन आयोग द्वारा मैट्रिक्स में निर्धारित किया गया है, जिसका अद्यतन विवरण इस प्रकार है।

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पद नाम:-

क्र0स0	जन सूचना अधिकारी का नाम व पद	सहायक जन सूचना अधिकारी का नाम व पद	अपीलीय अधिकारी का नाम व पद
1.	अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली मो०- 9454401037	क्षेत्राधिकारी सदर, मो०- 9454401618 क्षेत्राधिकारी सकलडीहा, मो०- 9454401620 क्षेत्राधिकारी चकिया, मो०- 9454401619 क्षेत्राधिकारी नौगढ़, मो०- 9454401621	पुलिस अधीक्षक चन्दौली मो०- 9454400262 ०८० E-Mail – rsp-police.cd@up.gov.in टेलीफोन नं०- ०५४१२-२६२४८०

नोट:- अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन या स्थानान्तरण पर कार्य में बदलाव किया जा सकता है। साथ ही उक्त सभी सूचनाओं में कोई विसंगति होने पर परिवर्तन किया जा सकता है।

17. अन्य कोई विहित सूचना:-

शून्य

पुलिस अधीक्षक
चन्दौली

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पद नाम:-

क्र0स0	जन सूचना अधिकारी का नाम व पद	सहायक जन सूचना अधिकारी का नाम व पद	अपीलीय अधिकारी का नाम व पद
1.	अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली मो०- 9454401037	क्षेत्राधिकारी सदर, मो०- 9454401618 क्षेत्राधिकारी सकलडीहा, मो०- 9454401620 क्षेत्राधिकारी चकिया, मो०- 9454401619 क्षेत्राधिकारी नीगढ़, मो०- 9454401621	पुलिस अधीक्षक चन्दौली मो०9454400262 ०न० E-Mail – rspcdi0@gmail.com टेलीफोन नं०- 05412-262480

नोट:- अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन या स्थानान्तरण पर कार्य में बदलाव किया जा सकता है। साथ ही उक्त सभी सूचनाओं में कोई विसंगति होने पर परिवर्तन किया जा सकता है।

17. अन्य कोई विहित सूचना:-

शून्य

पुलिस अधीक्षक
चन्दौली